अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, और उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। जनपद स्तर, पर जिला खान अधिकारी देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक, अनुज्ञापत्र शुल्क आदि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

संगठनात्मक ढाँचा नीचे दिखाया गया है:

चार्ट 5.1 संगठनात्मक ढाँचा

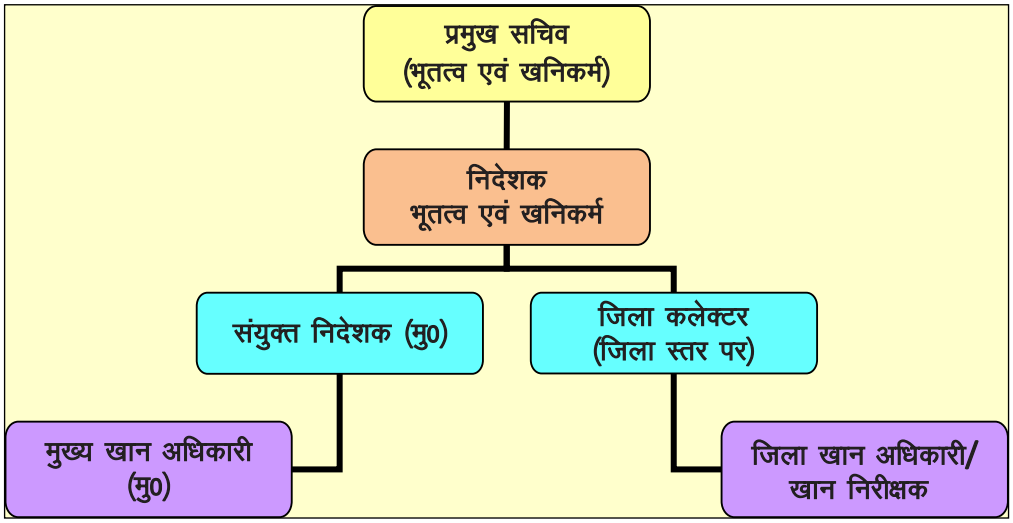

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017–18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की कुल 24[1] [75 लेखापरीक्षा योग्य (32 प्रतिशत) में से] इकाइयों मे कुल 849 पट्टों में से 363 पट्टों (43 प्रतिशत) की नमूना जाँच की। कुल जाँच किये गये पट्टो में से, 148 (41 प्रतिशत) पट्टो में ₹ 226.65 करोड़ धनराशि की अनियमितता पायी गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा ₹ 1,548.39 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया गया था, जिसमें से लेखापरीक्षा में आच्छादित इकाइयों द्वारा ₹ 700.00 करोड़ (45.21 प्रतिशत) का संग्रहण किया गया। लेखापरीक्षा में विभिन्न कमियों के कारण ₹ 226.65 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 175 प्रस्तर प्रकाश में आये, जैसा कि **सारणी–5.1** में वर्णित है।

---

[1] प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एवं जि.खा.अ. इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जे0पी0नगर, कानपुर नगर, कुशीनगर, महोबा, मिर्जापुर, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, सिद्वार्थनगर, सोनभद्र और सन्त रविदास नगर।

सारिणी – 5.1

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	प्रस्तरों की संख्या	धनराशि	कुल आपत्तिगत धनराशि का प्रतिशत में अंश
1.	रॉयल्टी न/कम वसूल किया जाना	47	15.10	6.66
2.	ब्याज/अर्थदण्ड का अनारोपण	16	3.46	1.53
3.	खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	34	71.24	31.43
4.	अन्य अनियमिततायें[2]	78	136.85	60.38
योग		**175**	**226.65**	

स्रोत : लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना।

वर्ष 2017–18 में इंगित किये गये 945 मामले में ₹ 33.92 करोड़ धनराशि को विभाग ने स्वीकार (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) किया। विभाग ने (अप्रैल 2017 एवं सितम्बर 2019 के मध्य) में प्रतिवेदित किया कि ₹ 8.99 करोड़ की वसूली पूर्व वर्षों से सम्बन्धित मामलों की है।

इस अध्याय में ₹ 45.21 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 1,053 मामलों को निर्देशित किया गया है। विभाग ने समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018), में कुल 1,053 निष्कर्षों में से 945 को स्वीकार किया। यद्यपि, स्वीकार किये गये मामलों में कोई भी वसूली लेखापरीक्षा को अभी तक (सितम्बर 2019) प्रतिवेदित नही की गयी। इनमें से कुछ, अनियमितताएं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया हैं जैसा कि **सारिणी–5.2** में वर्णित है। अधिकतर लेखापरीक्षा प्रेक्षण इस प्रकृति के हैं जो सम्बन्धित राज्य सरकार के विभाग, की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/चूक को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं, परन्तु वर्ष के दौरान नमूना जाँच में शामिल नही किये गये है। अतः विभाग/शासन अन्य सभी इकाईयों का आन्तरिक परीक्षण यह सुनिश्ति करने के उद्देश्य से कर सकते है कि वे आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कार्य कर रही है।

सारिणी–5.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकृति	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
खनिज मूल्य की वसूली न किया जाना	15	0.37	221	13.92	311	13.98	3,491	476.06	1,181	193.97	5,219	698.30
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना खनिजों का उत्खनन	-	-	-	-	-	-	04	66.90	04	33.75	08	100.65
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना ईंट मिट्टी का उत्खनन	-	-	-	-	-	-	2,909	66.80	1,131	62.27	4,040	129.07
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	1,655	10.22	412	3.87	1,430	6.84	39	0.25	353	6.66	3,889	27.84
अपरिहार्य भाटक का कम/नही जमा होना	-	-	10	0.23	-	-	30	0.61	-	-	40	0.84

[2] राजस्व की वसूली की उचित निगरानी न किया जाना।
ई–टेण्डरिंग का अनुपालन न किया जाना।
पट्टेधारकों द्वारा अपरिहार्य भाटक का भुगतान न किया जाना।
कोषागारों से चालानों के सत्यापन न करने सम्बन्धी अनियमिततायें।
वसूली पत्रों की वसूली का न किया जाना।

संस्तुतियाँः

1. **विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों को आरम्भ करना चाहिए कि लेखापरीक्षा द्वारा बार–बार प्रतिवेदित कमियों को पुनः न दोहराया जाए।**
2. **विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित अधिक धनराशि के न/कम वसूली किये गये मामलों में वसूली सुनिश्चित करने एवं अनुश्रवण के लिए अधिक प्रभावी उपायों को आरम्भ करना चाहिए।**

5.3 परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के खनन के 334 मामलों में ₹ 26.27 करोड़ खनिज मूल्य के एवं उचित शास्ति सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002 अनुबन्धित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (एम0एम0–11[3]/प्रपत्र सी[4]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[5] अनुबन्धित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा, अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में, यह दोहराया था, कि यदि ठेकेदार रॉयल्टी रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 या प्रपत्र सी में प्रस्तुत नहीं करता है तो रॉयल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 2012–13 से 2016–17 में 5,219 ठेकेदारों से खनिज मूल्य ₹ 698.30 करोड़ की वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व क्षेत्र को सतत् उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु, 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने 22 जिला खान कार्यालयों (जि0खा0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। आठ जि0खा0का0 में यह देखा गया कि 16 अक्टूबर 2015 से पूर्व (06/2014 से 07/2015) 68 निर्माण कार्य एवं 16 अक्टूबर 2015 या उसके बाद (04/2016 से 01/2018) 266 निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओ के ठेकेदारों द्वारा कराये गये। कुल 334 मामलों (350 नमूना जाँच में से), में ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्य में खनिजों के प्रयोग के एम0एम0–11 प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी ₹ 5.25 करोड़ की कटौती की और वैसे ही कोषागार में जमा कर दिया गया। सम्बन्धित जि0खा0का0, ने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा रॉयल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद भी, खनिज मूल्य ₹ 26.27 करोड़ (16 अक्टूबर 2015 से पहले ₹ 1.51 करोड़ एवं 16 अक्टूबर 2015 के बाद ₹ 24.76 करोड़) की वसूली सुनिश्चित करने के लिये कार्यदायी संस्थाओ के समक्ष मुद्दा नही उठाया और इस मामले में कोई भी कार्यवाही करने में विफल रहे **(परिशिष्ट-XVI)**।

---

[3] खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, उपखनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

[4] खनिजों की भंडारण के लाइसेंस धारक स्टोर से खनिजों के वैध परिवहन के लिये प्रपत्र सी में परिवहन प्रपत्र जारी करेगा।

[5] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (जुलाई 2017 से मई 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि 15 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना के बाद पहचाने गये मामलों में खनिज मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना) की वसूली की जायेगी। हालांकि, उस अधिसूचना से पहले के मामलों में कोई वसूली नही की जा सकती क्योंकि उसके लिये कोई निर्देश मौजूद नहीं थे। 15 अक्टूबर 2015 की अधिसूचना से पहले की अवधि से सम्बन्धित मामलों में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नही है। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध प्राधिकार के किसी भी भूमि से खनिज उठाने पर खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। बिना वैध परिवहन प्रपत्र के खनिजों का परिवहन अवैध खनन की संभावना को इंगित करता है। इस प्रकार इस मामले की जाँच की जानी चाहिये और कार्यवाही की जानी चाहिये जहाँ खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन को स्थापित किया जाता है।

संस्तुतिः

खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11 प्रपत्र है।

5.4 खनिजों के अनधिकृत उत्खनन

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम अनुबन्धित करता है कि खनन संक्रियाएं इस अधिनियम, व इसके अधिन बने नियमो के अर्न्तगत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनो और शर्तो के अनुसार की जायेगी। अग्रेतर यह अनुबन्धित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रॉयल्टी के साथ मूल्य वसूल कर सकता है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत, कुल रॉयल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य[6] के 20 प्रतिशत की दर से अनाधिक निर्धारित की गयी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प0सं0अ0) 1986 अनुबन्धित करता है कि जो भी इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करता है, या पालन करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिये कारावास जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने, जो एक लाख रूपये तक बढ़ाई जा सकती है या दोनो से दण्डनीय होगा।

5.4.1 पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन

पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) में निर्धारित अनुमति से अधिक के उप खनिजों के उत्खनन पर दो पट्टाधारकों से अधिक उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया (मई 2011 एवं मार्च 2012) कि खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) से प0मं0 प्राप्त करेंगे। यदि कोई व्यक्ति प0मं0 में निर्धारित मात्रा से अधिक खनिजों का उत्खनन करता है, तो यह अवैध खनन माना जायेगा जैसा कि पट्टे के अनुमोदन को नियंत्रित करने वाली आवश्यक शर्तो का उल्लंघन करते है। पट्टाधारक[7] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5) के अन्तर्गत वह रॉयल्टी, खनिज मूल्य एवं अर्थदण्ड का दायी होगा।

---

[6] खनिमुख मूल्य का आशय है कि खनन स्थल पर या उत्पादन के बिदुं पर उप खनिज का बिक्री मूल्य।

[7] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार और पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015–16 से 2016–17 में आठ मामलों में बिना पर्यावरण मंजूरी के खनिजों के उत्खनन पर शासकीय राजस्व ₹ 100.65 करोड़ की धनराशि की सतत् क्षति को उजागर किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान कुल 22 जि0खा0का0 में से दो[8] जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी और देखा कि 30 (कुल 92 मामले) में से दो मामलों में पट्टाधारकों ने दिसम्बर 2013 एवं फरवरी 2018 के मध्य 0.35 लाख घनमीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन प0मं0 में उनके सम्बन्धित स्वीकृत मात्रा से अधिक किया गया एवं रॉयल्टी ₹ 0.33 करोड़ का भुगतान किया गया। प0मं0 में स्वीकृत मात्रा से अधिक के खनिजों का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी और न ही अवैध रुप से खनन खनिज मूल्य ₹ 1.66 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की धनराशि वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रत्येक पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

5.4.2 खनन योजना का उल्लंघन

5.4.2.1 खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज का उत्खनन

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत, स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो, नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। निदेशक द्वारा एक बार अनुमोदित खनन योजना पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिये वैध होगी। खनन संक्रियायें विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिये। खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना का संशोधन भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन होना चाहिए।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में जि0खा0अ0 महोबा के अभिलेखों की नमूना जाँच की, यह देखा कि एक पट्टाधारक (एकमात्र मामले की नमूना जाँच) ने दिसम्बर 2016 एवं अप्रैल 2017 के मध्य 0.45 लाख घन मीटर खनिजों (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक किया एवं ₹ 0.67 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान किया गया। खनिजों का अधिक उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 3.35 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिये पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

[8] बाराबंकी और सोनभद्र।

5.4.2.2 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

खनन योजना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से इस तरह तैयार किया जाना चाहिये कि यह उस क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सके। यदि खनन संक्रियाएं बिना अनुमोदित खनन योजना के की जाती हैं तो विभाग का इनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं होगा और पट्टाधारक अधिक खनिजों का उत्खनन एक अवैज्ञानिक तरीके से कर सकता है जो खनिज संसाधनों, पर्यावरण सुरक्षा, जल स्त्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा एवं वायु और जल प्रदूषण की भी वृद्धि करेगा।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में जि0खा0अ0 हमीरपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं देखा कि एक पट्टाधारक (एकमात्र मामले की नमूना जाँच) ने मार्च 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य 0.80 लाख घन मीटर खनिज (मोरम एवं गिट्टी) का उत्खनन बिना किसी अनुमोदित खनन योजना के किया एवं रॉयल्टी ₹ 0.60 करोड़ का भुगतान किया। पट्टाधारक द्वारा उत्खनित खनिज की कुल मात्रा अनधिकृत थी और अवैध खनन का परिणाम थी। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 3.00 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना), की धनराशि की वसूली की गयी। अग्रेतर, मौजूदा नियमों के उल्लंघन के लिये पट्टाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

5.4.3 बिना पर्यावरण मंजूरी प0मं0 के ईंट मिट्टी का उत्खनन

बिना पर्यावरण मंजूरी प0मं0 के संचालित 36 ईंट भट्ठों से ईंट मिट्टी की ₹ 1.77 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

प0 एवं व0मं0 ने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जून 2013 द्वारा ईंट मिट्टी के खनन को बी–2 श्रेणी[9] में श्रेणीबद्ध किया गया था, जिसमें राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण[10] (रा0प0प्र0मू0प्रा0) से प0मं0 प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2015–16 से 2016–17 के 4,040 मामले में बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी के उत्खनन पर शासकीय राजस्व ₹ 129.07 करोड़ की सतत् क्षति को उजागर किया गया था।

विभाग द्वारा उपरोक्त के प्रवर्तन के मूल्यांकन के लिये, लेखापरीक्षा ने 2017–18 में 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं देखा कि दो जि0खा0का0 में 2015–16 से 2016–17 में संचालित 72 ईंट भट्ठों में से 36 ईंट भट्ठों की जाँच में पाया गया कि बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित थे और रॉयल्टी ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान किया। बिना पर्यावरण मंजूरी के ईंट मिट्टी का उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गयी न ही खनिज मूल्य ₹ 1.77 करोड़ की वसूली की गयी। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के लिये प्रत्येक भट्ठाधारक से अर्थदण्ड ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया **सारिणी 5.3** में दर्शाया गया है:

---

[9] पाँच हेक्टेअर से कम क्षेत्र में ईंट की मिट्टी एवं साधारण मिट्टी के उत्खनन की गतिविधियों को महत्वपूर्ण प्रभावों की स्थानिक सीमा एवं मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभावों के आाधर पर बी–2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

[10] पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित तीन सदस्य होंगे जो सम्बन्धित राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा नामित किये जायेंगे।

सारणी 5.3

							(₹ धनराशि में)
क्र0 सं0	**इकाई का नाम**	**वर्ष**	**ईंट भट्ठों की कुल संख्या**	**जाँच किये गये ईंट भट्ठों की संख्या**	**आपत्तिगत ईंट भट्ठों की संख्या**	**जमा रॉयल्टी**	**खनिज मूल्य**
1	जि0खा0अ0, हमीरपुर	2015–16	24	24	13	1337370	6686850
		2016–17	27	27	14	1427631	7138155
2	जि0खा0अ0, जालौन	2015–16	12	12	7	570600	2853000
		2016–17	9	9	2	203800	1019000
	योग		**72**	**72**	**36**	**3539401**	**17697005**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण 5.4.1, 5.4.2.1 5.4.2.2 एवं 5.4.3 को विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबबर 2017 एवं मई 2018 के मध्य)। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने बताया कि विगत लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सन्दर्भ में, शासन ने दिनांक 14 अगस्त 2017 की अधिसूचना के द्वारा उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 59 में संशोधन कर दिया जिसके द्वारा इस संशोधन की तिथि के बाद के मामलों में शास्ति आरोपित की जायेगी। अधिसूचना के पूर्व के मामलों में, कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है जैसा कि कोई निर्देश मौजूद नहीं था। नियम 59 में संशोधन के पूर्व के मामलों में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। 2011–12 से, राज्य सरकार ने पर्यावरण मंजूरी की शर्तों को पट्टेधारकों द्वारा मानना बाध्य कर दिया, खनन की किसी शर्तों का उल्लंघन जैसे खनिजों का अधिक उत्खनन अवैध एवं खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली की जानी चाहिये थी। विभाग के पास उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 60[11] के अन्तर्गत उन समस्त मामलों की जाँच करने की असीमित शक्तियाँ हैं जहाँ पट्टेधारकों ने खनन पट्टों की शर्तों का उल्लंघन किया एवं उसके अनुसार कार्यवाही करें। इसका कोई साक्ष्य नही पाया गया कि किसी मामले का संज्ञान लिया गया अथवा कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी। अधिक उत्खनन एक अवैध खनन क्रिया थी। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम के अन्तर्गत खनिज मूल्य की वसूली को आकर्षित करता है।

संस्तुतिः

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध खनन रोकने के लिये ईंट की मिट्टी सहित खनिजों का उत्खनन बिना अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के न किया जाये।

5.5 ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

ईंट भट्ठा स्वामियों से 660 मामलों में रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी ए0मु0स0 योजना में विनिर्दिष्ट थे।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित ईंट भट्ठों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए0मु0स0यो0) के अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। ए0मु0स0यो0 रॉयल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। 2015–16 के ए0मु0स0यो0 में ईंट बनने

[11] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के नियम 60 में पहले से प्रावधान किया गया था कि पट्टे में निहित या समझे जाने वाले किसी भी नियमों या शर्तों एवं अनुबन्ध के अधीन किसी भी अपराध या उल्लंघन के मामले में जिला अधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिये पट्टेदार को काली सूची में डाला जा सकता है।

में प्रयुक्त होने वाली पलोथन[12] मिट्टी के लिए रॉयल्टी का 20 प्रतिशत अतिरिक्त आरोपित किया जाना था।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2012–13 से 2016–17 में 3,889 ईंट भट्ठों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 27.84 करोड़ वसूली न किये जाने के कारण शासकीय राजस्व क्षति को उजागर किया गया था। केवल 2012–13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लो0ले0स0 में विचार विमर्श किये गये जहाँ विभाग द्वारा ₹ 3.78 करोड़ की वसूली प्रतिवेदित की गयी।

क्या विभाग ने इस सम्बन्ध में अपने आश्वासनों का पालन किया, के मूल्यांकन करने हेतु, लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि 12 जि0खा0का0 में संचालित 2,835 में से 660 ईंट भट्ठों की नमूना जाँच में ईंट भट्ठा स्वामियों नें भट्ठा वर्ष[13] 2013–14 से 2016–17 तक कोई रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जिला खान अधिकारी ने न ही व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की न ही रॉयल्टी ₹ 6.94 करोड़ एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 13.14 लाख की वसूली करने का कोई प्रयास किया **(परिशिष्ट-XVII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष में लागू ए0मु0स0यो0 के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए।

5.6 अपरिहार्य भाटक का नहीं/कम जमा होना

19 पट्टाधारकों ने पट्टा अवधि के लिये वसूलनीय अपरिहार्य भाटक ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष ₹ 1.85 करोड़ जमा किया। विभाग ने कम जमा अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली[14] के अन्तर्गत, खनन पट्टे का प्रत्येक पट्टाधारक प्रत्येक वर्ष द्वितीय अनुसूची में निर्धारित दर से पट्टे के समस्त क्षेत्र के लिये सम्पूर्ण वर्ष के लिये अग्रिम में अपरिहार्य भाटक[15] का भुगतान करेगा।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2013–14 एवं 2015–16 में 40 पट्टे में अपरिहार्य भाटक कम/नहीं जमा होने से ₹ 0.84 करोड़ की धनराशि की सतत राजस्व क्षति को उजागर किया गया था।

लेखापरीक्षा ने 2017–18 के दौरान 22 जि0खा0का0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि छः जि0खा0का0 के 283 पट्टाधारकों में से 19 पट्टाधारकों ने फरवरी 2012 से नवम्बर 2017 के मध्य में अपरिहार्य भाटक की अवधि में देय धनराशि ₹ 3.94 करोड़ के सापेक्ष अपरिहार्य भाटक ₹ 1.85 करोड़ जमा किया था। यद्यपि पट्टा की पत्रावलियों में भुगतान के विवरण उपलब्ध थे। विभाग ने अपरिहार्य भाटक आरोपित

---

12 बलूई मिट्टी।

13 अक्टूबर से सितम्बर।

14 उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 72।

15 अपरिहार्य भाटकः खनन पट्टे का धारक पट्टे की अवधि में पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिये अपरिहार्य भाटक के रूप में ऐसी धनराशि का किश्तों में अग्रिम रूप से भुगतान करेगा जैसी इस नियमावली की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित दरों पर राज्य सरकार द्वारा पट्टा विलेख में विनिर्दिष्ट की जाये।

एवं वसूली करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणामस्वरूप अपरिहार्य भाटक ₹ 2.09 करोड़ कम जमा हुआ **(परिशिष्ट-XVIII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग (नवम्बर 2017 से अप्रैल 2018) को प्रतिवेदित किया। समापन गोष्ठी (नवम्बर 2018) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया एवं बताया कि वसूली की कार्यवाही की जायेगी (अगस्त 2019)।

लखनऊ
दिनांक 06 जनवरी 2020

(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21st January, 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक